

9/11/21
अज अदालत

Form No-111

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

कृष्णलाल बनाम सरकार

किरग मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नम्बर 21 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021 /

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
09.11.21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार ख/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ख/21 में प्रार्थी के नाम चक 35 P.S की जमाबंदी सम्बत 2075 के खाता सं. 10 में</p> <p>कृष्णलाल पुत्र बीरबलराव जाति जाट साठ-33 P.S के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र बीरबलराव जाति जाट साठ-33 P.S</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार ख/21 रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक 35 P.S तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत 2075 के खाता सं. 10 में कृष्णलाल पुत्र बीरबलराव जाति जाट साठ-33 P.S के स्थान पर कृष्णलाल पुत्र बीरबलराव जाति जाट साठ-33 P.S</p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर